आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24/3/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-704/2008-09

पलटु पहान, ...आवेदक।

बनाम्

प्रवीन्द्र गर्ग, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक पलटु पहान, पिता–स्व० फगुवा पहान, निवासी ग्राम–टाटी, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यंह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी प्रवीन्द्र गर्ग निवासी ग्राम–बाक्स पाल, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा भूमि को छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
टाटी	173	402	1246	1.44 एकड़

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान वकास्त भुईहरी है, तथा लगान पाने वाले का नाम छुटुवा पाहन वगै० है।

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि छटुवा पाहन अपने पीछे भदुआ पाहन एवं फगुआ पाहन को छोड़ गये। फगुआ पाहन अपने पीछे पलटु पाहन को छोड़ गये, जो इस वाद में आवेदक है। आवेदक की वर्णित भूमि खतियानी है तथा खतियान में वकास्त भुईहरी दर्ज है। लगान पाने वाले का नाम छुटुवा पाहन है, आवेदक छुटुवा पाहन के वंशज है। इस वाद में दिनांक–17.01.2011 को आवेदन देकर बिगल पाहन अपने को खतियानी रैयत के वंशज

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

बताते हैं। बिगल पाहन द्वारा इस वाद में एक पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए, आवेदक के रूप में उन्हें पक्षकार बनाया गया। आवेदकगण का कहना है कि विपक्षी हमारी खतियानी जमीन को छल–प्रपंच से कब्जा कर लिए हैं, तथा उपायुक्त महोदय के न्यायालय से अनुमति लिए बिना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का उल्लघंन कर भूमि से आवेदक को बेदखल कर गलत तरीके से जमीन हड़प लिये हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भूमि आवेदक को वापस होना चाहिए। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति दाखिल किया गया।

आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये। गवाह सं०–01 पलटु पाहन कहते हैं कि ये केस मैंने प्रवीन्द्र गर्ग जो वाक्सपोल कारखाना के मालिक पर किया है। खतियान में छुटुवा पाहन दर्ज है, जो मेरे दादा हैं। छुटुवा पाहन के दो पुत्र भदुआ पाहन, फगुआ पाहन है, फगुआ पाहन का मैं पुत्र हूँ। जमीन की बिक्री हमलोंग नहीं किये है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि तकरारी जमीन के कुछ भाग पर घर बना हुआ है तथा फैक्ट्री भी बना हुआ है, जो 15–20 वर्षो से चल रहा है। निबंधित पट्टा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गवाह सं०–02 अर्जुन पाहन कहते है कि तकरारी जमीन को मैं जानता हूँ, जिसका खाता सं०–402 प्लॉट सं०–1240 कुल रकबा'–01 एकड़ 44 डिसमिल है। जमीन भूईहरी पहनई है, छिटपुट एस्बेसटेस का मकान बना हुआ है। मैं अपने होश के समय से मकान देख रहा हूँ। तकरारी जमीन में किसी तरह का फैक्ट्री नहीं चलता है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया। जिसमें कहते हैं कि यह वाद पलटु पाहन की ओर से लाया गया है जो पोषणीय नहीं है तथा कालबाधित भी है, साथ ही धारा–65 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। आगे कहते हैं वर्णित भूमि पर विपक्षी का Adverse दखल है। लगान पाने वाला उत्तराधिकारी ने जलेश्वर साहु को मौखिक रूप से भूमि को दे दिया था। इसके बाद वर्णित भूमि पर एक वाद व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ कोर्ट में चला, जिसका वाद संख्या–551/1961 है इसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता के आधार पर

24/3/25

24/3/25

जलेश्वर साहु के पक्ष में आदेश हुआ। तत्पश्चात परमानन्द गर्ग और पुरनानन्द गर्ग ने जलेश्वर साहु से वर्णित भूमि को निबंधित पट्टा से खरीद लिया, जिसका पट्टा संख्या–4980 और 5394 जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। पुनः कन्हैया लाल सरसवंत ने श्री परमानन्द गर्ग वो श्री पुरनानन्द गर्ग से जमीन खरीदा गया, जिसका पट्टा संख्या–2045 है पुनः परमानन्द गर्ग और पुरनानन्द गर्ग ने वर्णित भूमि का कुछ भाग गन्दुरा कुम्हार और छेदीया कुम्हार से निबंधित पट्टा से खरीदा है, जिसका पट्टा संख्या–2988 है। परमानन्द गर्ग और पुरनानन्द गर्ग ने वर्णित भूमि का कुछ भाग मुरलीधर शर्मा से खरीदे हैं, जिसका पट्टा संख्या–3497 है। तत्पश्चात् परमानन्द गर्ग तथा पुरनानन्द गर्ग ने विपक्षी को दिनांक–29.09.1961 ई० में बेच दिया, इसके बाद से विपक्षी वर्णित भूमि पर दखल कब्जा के साथ रह रहें हैं। आगे कहते हैं कि विपक्षी का एक कारखाना है जो Indian Company Act के अनुसार स्थापित है, जिसका नाम एम०/एस० वॉक्सपॉल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से चल रहा है। वर्णित भूमि पर वॉक्सपॉल कारखाना द्वारा 1963–64 से कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाया गया है। इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है तथा वाद पोषणीय नहीं है। चूँकि वर्णित भूमि पर 30 वर्ष पूर्व से मकान बना है तथा यह वाद 30 वर्ष वाद लाया गया है। अतः धारा–65 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यह वाद चलने योग्य नहीं है अतः इस वाद को खारिज किया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा वर्णित भूमि पर इस वाद से पूर्व कोई कभी भी आपत्ति नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से निबंधित पट्टा की छाया प्रति, शुद्धि–पत्र, अंचल रसीद की छाया प्रति तथा बिजली बिल की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह संख्या–01 नन्द किशोर महतो, पिता–स्व० .विशंभर महतो, अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैंने 1963–64 को कम्पनी में योगदान दिया था हमारे सामने ही क्वार्टर बंना तथा हमारे आने से पहले जमीन खरीदा गया है। इस जमीन पर कम्पनी का 50 वर्ष से दखल–कब्जा है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मैं 1964 से कम्पनी में काम

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25 कर रहा था, अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तकरारी जमीन के आवेदक पलटु पाहन को जानता हूँ। विपक्षी जमीन का लगान देते आ रहे हैं, परंतु जमीन भूईहरी है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। 1964 से कम्पनी का क्वार्टर बना हुआ है। गवाह संख्या—02 विसराम चौधरी, पिता—स्व० द्वारिका चौधरी अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैं 1975 से कम्पनी में कार्य कर रहा हूँ। कम्पनी ने 1961 ई० में जमीन खरीदा है तथा 50 वर्ष से दखल—कब्जा है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं मैं 1975 ई० में कम्पनी में योगदान दिया था। खतियानी रैयत कौन है, नहीं बता सकते हैं। कम्पनी का रजिस्ट्री पट्टा देखा हूँ और क्वार्टर के लिए नक्शा नहीं कराया गया है। वॉक्सपॉल कम्पनी लगान रसीद देते हैं। गवाह संख्या—03 मुरलीधर केसरी, पिता—स्व० जमुना प्रसाद केसरी, अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैं 1975 में योगदान दिया था, मेरे योगदान देने से 10—12 वर्ष पहले क्वार्टर बना है। 1961 ई० में वॉक्सपॉल कम्पनी ने जमीन को खरीदा है और 50 वर्षो से कम्पनी का दखल कब्जा है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि प्रवीन्द्र गर्ग के नाम पर कोई पट्टा है या नहीं, नहीं बता सकते हैं। वॉक्सपॉल कम्पनी के नाम पर पट्टा है। आदिवासी खाते की जो जमीन है वह भूईहरी है या नहीं, नहीं बता सकते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और Intervenor के विद्वान अधिवक्ता ओर से बहस किया गया और साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया गया। आवेदक कहते हैं कि आर॰एस॰ खतियान में वकास्त भूईहरी है तथा इसका खेवट नं०—28/01, खाता सं०—402 कुल रकवा—10 एकड़ 62 डिसमिल का बना है। जिसमें प्लॉट—1246 इसी खेवट में है। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 उल्लघंन किये हैं तथा उपायुक्त के अनुमति प्राप्त किये बिना ही जमीन को हड़प लिये हैं। आवेदक अपने वंशावली में दर्शाये हैं कि छुटुआ पाहन अपने पीछे भदवा पाहन और फगुआ पाहन को छोड़ गये। फगुआ पाहन अपने पीछे पलटु पाहन को छोड़ गये, जो आवेदक है। आवेदक खतियान में लगान पाने वाले का वंशज है। आवेदक विपक्षी के कारणपृच्छा में लिखी बातों का खंडन करते है।

24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

पारा—07 में कहते हैं कि विपक्षी मौखिक रूप से जिस वर्णित भूमि को प्राप्त किया, वह अवैध है तथा विपक्षी द्वारा अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। म्यूटेशन और अंचल रसीद से टाइटल नहीं बनता है, जो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" का. उल्लघंन है। व्यवहार न्यायालय, राँची के मुंसिफ कोर्ट में जो टाइटल सूट वाद सं०—551/1961 है। यह टाइटल सूट सावना पाहन बनाम् जलेश्वर साहू है। यह डिक्री Collusive decree है। इसी के आधार पर जलेश्वर साहू ने वर्णित भूमि को बेचा है, अतः आवेदक को भूमि वापस होना चाहिए।

पक्षकार (Intervenor) विजय पाहन के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। जिसमें कहते हैं कि तकरारी जमीन खतियान में छुटूआ पाहन वगै० के नाम से दर्ज है। पक्षकार खतियान रैयत के नाती है। तकरारी जमीन बकब्जे भूईहरी पहनई है, जो सार्वजनिक जमीन है तथा जिसके आमदनी से पाहन पूजा—पाठ करता है और त्योहार में खर्च करता है। यह भूमि हस्तांतरण योग्य नही है। मेरे पूर्वज भी इस जमीन को नहीं बेचे हैं। आगे कहते हैं कि टाइटल सूट वाद सं०—551/1961 में सुलहनामा कर परमानन्द एवं पुरनानन्द गर्ग को बिक्री किया है और परमानन्द से विपक्षी ने जमीन को खरीदें जो Collusive decree है। विपक्षी अपने कारणपृच्छा के कंडिका 09, 10 एवं 11 में कहते हैं कि कुछ हिस्सा कन्हैया लाल सरसवंत, गन्दूरा कुम्हार और छेदी कुम्हार एवं मोहित मुरलीधर ने कुछ जमीन को खरीदा है। आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी व्यक्ति कैसे खरीद सकता है। पक्षकार विजय पाहन एक ही खानदान के है, जो सुन्दरा पाहन का नाती एवं बैजना पाहन का पुत्र है जो एक ही खूंट के हैं, इसलिए यह जमीन आवेदगण को वापस होना चाहिए। पक्षकार की ओर से खतियान की छायाप्रति दाखिल, अंचल रसीद तथा खेवट 28/01 की छायाप्रति दाखिल किया है। इस संबंध में पक्षकार की ओर से कई वाद का हवाला प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है :—

M: 24/3/25

कृ०पृ०उल्टे

24/3/25

1. "[2003 (4) J C R 206 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court LPA No. 135 of 2001 decided on November 26, 2002 **Rambriksha Gupta** Versus **State of Bihar & Ors** ".
2. "[2003 (4) J C R 207 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court CWJC No. 436 of 2001 decided on August 28, 2003 M/s. **Tata Engineering and Locomotive Company Ltd.** Versus **Presiding officer Labour Court Jamshedpur & Ors** ".
3. "Letter Patent Appeal No. 135 of 2001 (26.11.2002) **Rambriksha Gupta Vs State of Bihar & Ors.**
4. "Writ Petition (Service) No. 5009 of 2002 (24-07-2003) **Punam Singh** Vs **(1) State of Jharkhand (2) Commissioner-cum-Chairman, South Chotanagpur Dvn. Ranchi (3) Regional Deputy Director Ranchi.**
5. **"[2009 (4) J C R 384 (Jhr)]** Hon'ble Jharkhand High Court W.P.(C) No. 4426 of 2002 with W.P.(C) Nos. 1123 and 5605 of 2003 decided on July 17, 2009 **Smt. Kanti, Janardan Prasad & Ors, Smt. Tarit Barani Devi** Vs **State of Jharkhand & Ors".**

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। जिसमें कहते हैं कि आवेदक ने जो यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत लाए है, यह वाद चलने योग्य नहीं है एवं इस वाद को गलत तरीके से लाया गया है। यह वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि विपक्षी ने जो भी भूमि खरीदा है वह छल–प्रपंच से नहीं खरीदें है। यह वाद कालबाधित भी है, तथा Adverse Position भी है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है। यह जमीन वकास्त भुईहरी है। Recorded Tenant की मृत्यु के बाद इनके वंशज वर्णित भूमि पर दखलकार हुए, और इन्होंने ही कन्हैया लाल सरसवंत को मौखिक रूप से भूमि को दे दिए। इसके पश्चात् वर्णित भूमि पर एक हक वाद केस चला जिसका टाईटल सूट वाद संख्या–478/1960 है, जो कन्हैया लाल सरसवंत बनाम् भदवा पाहन वगै० के पक्ष में दिनांक–08.09.1960 को समझौता के आधार पर वर्णित भूमि पर डिक्री हुआ। कन्हैया लाल सरसवंत बनाम्

24/3/25

24/3/25

भदवा पाहन वगै० इसमें कन्हैया लाल सरसवंत के पक्ष में समझौता के आधार पर डिक्री बना। इसके बाद कन्हैया लाल सरसवंत दखल कब्जा के साथ रहते हुए कन्हैया लाल सरसवंत ने परमानन्द गर्ग वो पुरनानन्द गर्ग को दिनांकः–22.03.1961 ई० को बेच दिया जिसका डीड संख्या–2045 है। पुनः परमानन्द गर्ग वो पुरनानन्द गर्ग ने वॉक्सपॉल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को दिनांकः–29.09.1961 ई० निबंधित पट्टा से बेच दिया। जिसका पट्टा संख्या–5731 है। इसके बाद वॉक्सपॉल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने नाम पर दाखिल–खारिज किया है। जिसका वाद संख्या–4R27/1986–87 है। इसके बाद से लगातार मालगुजारी देते आ रहे हैं। विपक्षी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 एवं 48 का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है और ना ही धोखधड़ी किया गया है। आगे कहते हैं कि वकास्त भूईहरी भूमि को भी बंदोबस्त किया जा सकता है। 1946 ई० में ही कन्हैया लाल सरसवंत मौखिक रूप से दे दिया गया था। इसके उपरांत दिनांकः–08.09.1960 ई० को मुंसिफ न्यायालय, राँची से समझौता के आधार पर डिक्री बन गया था तथा समझौता का 12 वर्ष पुरा हो चुका था। अतः यह वाद पोषणीय नहीं हैं तथा चलने योग्य नहीं है। आगे कहते हैं कि दिनांकः–22.03.1961 और 29.09.1961 ई० को वर्णित भूमि का निबंधित पट्टा हो चुका है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–48 (4) के अंतर्गत 12 वर्ष के अंदर वाद लाया जाना था, जो नहीं लाया गया। यह वाद 48 वर्ष बाद लाया गया है, इसलिए यह वाद खारिज करने योग्य है। विपक्षी का 30 वर्ष से ज्यादा दखल–कब्जा रहने तथा वर्णित भूमि पर कर्मचारियों के रखने के लिए क्वॉटर बना हुआ है, जिस पर कर्मचारी रह रहे हैं। आगे कहते हैं कि अब 30 वर्ष पार कर चुका है तथा 48 वर्ष के समझौता के आधार पर व्यवहार न्यायालय का आदेश हो चुका है। इसके अलावा कई बार भूमि का निबंधित पट्टा के द्वारा हस्तांतरण हो चुका हैं। इसलिए आवेदक ने जो विपक्षी पर आरोप लगाया है कि वर्णित भूमि को गैरकानूनी तरीके तथा छलप्रंपच से दखल–कब्जा कर लिए हैं, वह सत्य नहीं है। इस वाद को खारिज किया जाय। विपक्षी की ओर से विभिन्न न्यायालयों का हवाला दिए है, जो इस प्रकार हैः–

24/3/25

24/3/25

1. C.W.J.C No. 4 of 1976 (R) **Harakh Sao** Vs **Dukhan Pahan & Ors**
2. C.W.J.C No. 1893 of 1975 **M/s Sahu Mills & Ors** Vs **The State of Bihar & Ors**
3. C.W.J.C No. 853 and 854 of 1987 (R) **Johan Lakra** Vs **State of Bihar & Ors**
4. AIR 1970 Ho'nble Supreme Court 1778 (V 57 C 379) **J.M. Shelat and C.A. Vaidia Lingam JJ**.
5. Air 1970 Ho'nble Supreme Court 1782 (V 57 C 380) **J.C. Shah K.S. Hegde and A.N. Grover JJ**.
6. Air 1929 Patna 117 Das and Adami, JJ. **Bageswari Charan Singh** Vs **Jagarnath Kuari and another.**
7. [(1992) 2 BLJR 986] Hon'ble Patna High Gourt,(Ranchi Bench) **Bukan Ansari & Ors.** Versus **The State of Bihar & Ors.**
8. Air 2000 Hon'ble Supreme Court 2276 Civil Appeal No. 12493 of 1996 with Civil Apeal No. ….. of 2000 **Jai Mangal Oraon** Vs. **Smt. Mira Nayak and Others With Jai Mangal Oraon** Vs. **Rita Sinha and Others.**
9. (2004) 8 Supreme Court Cases 340, **Situ Sahu and Ors.** Versus **State of Jharkhand & Ors.**
10. (2004) 8 Supreme Court Cases 348, IA No. 5 in Civil Apeal No. 7426 of 1996 **Citibank N.A.** Versus **Standard Chartered Bank.** With Ias Nos. 5-6 in Civil Appeal No.9063 of 1996, **CanBank Financial Services Ltd.** Versus **Citibank N.A.**
11. [2008 (2) J C R 1 (SC)] Hon'ble Supreme Court, Civil Appeal No. 3267 of 2001 **Fulchand Munda,** Versus **State of Bihar & Ors.**
12. W.P.(c) NO.3472 of 2001, **Chaitu Oraon & Anr. V/s The State of Jharkhand & Ors.**
13. [2009 (1) JCR 193 (Jhr)] Jharkhand High Court, **Akhouri Akhileshwari Charan Lal & Ors. V/s State of Bihar & Ors.**

24/3/25

24/3/25

14. 2009 (1) JCR 198 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Md. Rahman, V/s State of Jharkhand & Ors.**
15. [2011 (4) JCR 73 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Smt. Sharda Devi, V/s The Commissioner, South Chhotanagpur Division, Ranchi & Ors.**
16. [2011 (4) JCR 78 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Ramesh Chandra Prasad, V/s Union of India & Ors.**
17. [2011 (4) JCR 335 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Manoj Mahto, V/s Kaleshwar Mahto & Ors.**
18. [2013 (1) JCR 313 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Shyam Narayan Singh & Anr. V/s The Commissioner, South Chhotanagpur Division, Ranchi & Ors.**
19. [2009 (4) JCR 343 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Md. Kalam & Anr. V/s State of Bihar (Now Jharkhand) & Ors.**
20. [2009 (4) JCR 345 (Jhr)] Hon'ble Jharkhand High Court. **Dr. Kailash Vihari, V/s Union of India Though Secretary, Ministry of Human Resources Development, New Delhi & Ors.**

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस सुने तथा दोनों पक्षों के कागजातो के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर आते है कि आवेदक द्वारा लाया गया यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। यह वाद 30 वर्षो बाद लाया गया है। विपक्षी एम०/एस० वॉक्सपॉल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों का क्वाटर 1961 ई० से बना हुआ है एवं विपक्षी के दखल–कब्जा में है, इसलिए यह वाद कालबाधित है तथा पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.05.17 14:14:10 +05:30
Location: 192.168.165.39

ह०/- 24/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ह०/- 24/3/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।